

कपड़ा मंत्रालय

मांग संख्या 89

कपड़ा मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूँजी जोड़	743.16 16.84 760.00	475.24 472.60 947.84	1218.40 489.44 1707.84	661.16 13.84 675.00	459.15 440.85 900.00	1120.31 454.69 1575.00	866.97 11.03 878.00	457.96 444.35 902.31	1324.93 455.38 1780.31	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं ग्राम और लघु उद्योग हथकरघा उद्योग	3451	1.00	7.25	8.25	1.00	6.60	7.60	1.00	7.20	8.20
2. हथकरघा संबंधी आर्थिक सहायता										
2.01 हथकरघा कपड़े पर विशेष छूट	3601	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
2.02 जनता कपड़े पर सब्सिडी	3601	...	0.50	0.50	...	0.10	0.10	...	0.20	0.20
जोड़		...	5.50	5.50	...	5.10	5.10	...	5.20	5.20
3. हथकरघों के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों										
3.01 हथकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड सह-आवास योजना को अनुदान	3601	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
3.02 हथकरघा बुनकर कल्याण योजना के लिए सहायता	3601	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
3.03 दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना	3601	52.50	...	52.50	51.90	...	51.90	30.37	...	30.37
	2851	3.10	...	3.10	3.10	...	3.10	2.60	...	2.60
	3602	0.40	...	0.40	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़		56.00	...	56.00	56.00	...	56.00	33.97	...	33.97
3.04 अन्य	7601	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़		72.50	...	72.50	72.50	...	72.50	50.47	...	50.47
4. अन्य हथकरघा योजनाएं										
4.01 बुनकर सेवा केन्द्र	2851	...	16.00	16.00	0.33	14.61	14.94	0.63	16.35	16.98
4.02 हथकरघा निर्यात उन्नयन योजना	2851	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50
4.03 मिल गेट मूल्य योजना	2851	8.00	...	8.00	12.00	...	12.00	8.00	...	8.00
4.04 विपणन संवर्धन कार्यक्रम	2851	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	7.50	...	7.50
4.05 डिजाइन विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम	2851	34.96	...	34.96	10.17	...	10.17	16.91	...	16.91
	4851	2.61	...	2.61	2.11	...	2.11	1.50	...	1.50
जोड़		37.57	...	37.57	12.28	...	12.28	18.41	...	18.41
4.06 कपड़ा और कपड़े से बनी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाने के कारण सेनवेट की प्रतिपूर्ति	2851	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00
	3601	...	50.00	50.00	...	10.00	10.00	...	25.00	25.00
जोड़		...	75.00	75.00	...	35.00	35.00	...	50.00	50.00
4.07 संचित हथकरघा स्टॉक की बिक्री पर 10% की विशेष छूट के अनुदान के लिए स्कीम	2851	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
	3601	...	19.50	19.50	...	19.30	19.30	...	49.25	49.25
	3602	0.20	0.20	...	0.25	0.25
जोड़		...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	50.00	50.00
4.08 बुनकर बीमा योजना	2851	2.50	...	2.50	5.50	...	5.50
4.09 एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण कार्यक्रम	2851	24.35	...	24.35
4.10 अन्य	2851	...	9.36	9.36	...	9.30	9.30	...	9.57	9.57
	3601	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	...	1.20	1.20
	3602	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
जोड़		1.20	9.41	10.61	1.20	9.35	10.55	...	10.82	10.82
जोड़-हथकरघा उद्योग		129.77	125.91	255.68	111.31	84.06	195.37	119.36	132.37	251.73
हथकरघा उद्योग										
5. अन्य हस्तशिल्प योजनाएं										
5.01 प्रशिक्षण एवं विस्तार	2851	0.90	23.00	23.90	0.90	22.78	23.68	0.50	26.22	26.72
5.02 डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन	2851	7.00	23.00	30.00	7.00	23.00	30.00	20.64	26.71	47.35
5.03 बाबा साहब अंबेडकर हस्तशिल्प योजना	2851	17.50	...	17.50	16.80	...	16.80	18.08	...	18.08
5.04 निर्यात संवर्धन	2851	9.80	...	9.80	9.80	...	9.80	14.05	...	14.05

		(करोड़ रुपए)									
मुख्य शीर्ष		बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
5.05	विपणन सहायता और सेवाएं	2851	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	12.13	...	12.13
5.06	जम्मू और कश्मीर के लिए एकीकृत विकास पैकेज	2851	31.55	...	31.55	21.55	...	21.55	4.00	...	4.00
5.07	शिल्पकारों के लिए बीमा योजना स्कीम	2851	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	2.50	...	2.50
5.08	विशेष हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना	2851	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	2.50	...	2.50
5.06	अन्य	2851	2.90	14.03	16.93	2.10	14.03	16.13	2.90	16.16	19.06
		4851	7.00	...	7.00	6.50	...	6.50	1.80	...	1.80
जोड़- हस्तशिल्प उद्योग			86.15	60.03	146.18	74.15	59.81	133.96	79.10	69.09	148.19
ऊन उद्योग											
6.	ऊन विकास बोर्ड	2851	13.00	0.80	13.80	10.00	0.80	10.80	12.00	0.90	12.90
रेशम उत्पादन											
7.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	2851	67.18	56.36	123.54	67.18	56.36	123.54	72.46	60.66	133.12
8.	अन्य रेशम कीटपालन योजनाएं	2851	...	1.50	1.50	...	1.96	1.96	...	1.77	1.77
जोड़-रेशम कीटपालन उद्योग			67.18	57.86	125.04	67.18	58.32	125.50	72.46	62.43	134.89
विद्युतकरघा उद्योग											
9.	अन्य विद्युतकरघा योजनाएं	2851	9.76	1.20	10.96	9.65	1.21	10.86	12.28	1.25	13.53
		3601	4.24	...	4.24	0.10	...	0.10
जोड़- विद्युतकरघा उद्योग			14.00	1.20	15.20	9.75	1.21	10.96	12.28	1.25	13.53
जोड़-ग्राम और लघु उद्योग			310.10	245.80	555.90	272.39	204.20	476.59	295.20	266.04	561.24
उपभोक्ता उद्योग											
10.	उपकर संग्रहण की एवज में अदायगी										
10.01	कपड़ा	2852	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	21.00	21.00
10.02	जूट	2852	...	27.00	27.00	...	37.00	37.00	...	38.00	38.00
		जोड़	...	47.00	47.00	...	57.00	57.00	...	59.00	59.00
11.	कपड़ा आयुक्त	2852	...	10.63	10.63	...	10.01	10.01	...	10.97	10.97
12.	कपड़ा के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम										
12.01	फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान	2852	18.00	10.00	28.00	23.00	19.20	42.20	32.71	10.00	42.71
12.02	अनुसंधान एवं विकास	2852	10.00	...	10.00	2.50	...	2.50	2.00	...	2.00
12.03	कपड़ा श्रमिक पुनर्वास योजना	2852	...	15.00	15.00	...	5.00	5.00	...	15.00	15.00
12.04	अध्ययनों के लिए अनुदान	3453	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
12.05	कपड़ा आधुनिकीकरण अनुदान योजना (टीयूएफएस)	2852	250.00	...	250.00	243.72	...	243.72	340.00	...	340.00
12.06	कपास प्रौद्योगिकी मिशन	2852	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	40.00	...	40.00
12.07	परिधान/कपड़ा पार्क योजना	2852	22.50	...	22.50	10.00	...	10.00	30.00	...	30.00
12.08	कपड़ा अभिवृद्धि केन्द्रों की आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन हेतु योजना	2852	22.00	...	22.00	10.00	...	10.00	30.00	...	30.00
12.09	मूल्य सहायता के अधीन भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति	2852	...	34.00	34.00	...	34.00	34.00	...	20.00	20.00
12.10	ईएमडी/बीजी की जब्त राशि के एवज में एईपीसी को अनुदान	2852	...	12.00	12.00	...	30.00	30.00	...	7.21	7.21
12.11	पुनर्वास स्कीम के लिए ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लि. को अनुदान	2852	...	49.00	49.00	...	49.00	49.00	...	18.00	18.00
12.12	अन्य	2852	5.00	5.25	10.25	5.00	7.44	12.44	4.26	8.29	12.55
		जोड़	359.50	125.25	484.75	325.22	144.64	469.86	479.97	78.50	558.47
13.	जूट आयुक्त	2852	...	1.84	1.84	...	2.26	2.26	...	2.14	2.14
14.	जूट-विकास आदि के लिए अन्य कार्यक्रम										
14.01	राष्ट्रीय जूट विविधीकरण केन्द्र के लिए अनुदान	2852	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	5.30	...	5.30
14.02	विशेष जूट विकास निधि	2852	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
14.03	बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को आर्थिक सहायता	2852	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00

		बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
14.04	ऋण की सस्सिडी में परिवर्तित करने के लिए मूल्य सहायता प्रचालन में हुई हानियों के लिए भारतीय जूट निगम को आर्थिक सहायता	2852	...	0.01	0.01	
14.05	अन्य	2852	4.97	7.46	12.43	1.96	4.44	6.40	4.70	4.11	8.81
	जोड़	14.47	37.47	51.94	7.46	34.44	41.90	11.00	34.11	45.11	
15.	जूट विकास निधि-अन्तरण को से निवल	2852	2.71	...	2.71	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	से निवल	2852	-2.71	...	-2.71	-1.00	...	-1.00	-1.00
	जोड़-उपभोक्ता उद्योग	373.97	222.19	596.16	332.68	248.35	581.03	490.97	184.72	675.69	
नागरिक पूर्ति											
16.	सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
16.01	राष्ट्रीय कपड़ा निगम	6860	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00
16.02	राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम	6860	...	112.00	112.00	...	112.00	112.00	...	112.00	112.00
16.03	एलैन मिल्स	6860	5.00	5.00	
16.04	बर्ड जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड	6860	...	0.35	0.35	...	1.60	1.60	...	0.35	0.35
16.05	सीमांत लाभों के निपटारे के लिए एकमुश्त प्रावधान	6860	...	33.00	33.00
	जोड़	4851	3.43	...	3.43	1.43	...	1.43	3.03	...	3.03
17.	सरकारी उद्यमों में निवेश	4860	...	27.25	27.25	...	27.25	27.25	...	27.00	27.00
	जोड़	3.43	27.25	30.68	1.43	27.25	28.68	3.03	27.00	30.03	
18.	पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान	2552	25.80	...	25.80	24.80	...	24.80	34.00	...	34.00
		4552	0.20	...	0.20
		7601	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
	जोड़	26.00	...	26.00	25.00	...	25.00	34.20	...	34.20	
	हस्तशिल्प उद्योग	2552	11.90	...	11.90	11.90	...	11.90	17.90	...	17.90
		4552	4.00	...	4.00
		4851	3.10	...	3.10	3.10	...	3.10
	जोड़	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	21.90	...	21.90	
	रेशम कीटपालन उद्योग	2552	25.50	...	25.50	22.50	...	22.50	30.00	...	30.00
	जूट उद्योग	2552	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	1.70	...	1.70
	कपड़ा	2552	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
	जोड़	71.50	...	71.50	67.50	...	67.50	87.80	...	87.80	
	कुल जोड़	760.00	947.84	1707.84	675.00	900.00	1575.00	878.00	902.31	1780.31	
ख.	सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
17.01	राष्ट्रीय कपड़ा निगम	12860	27.26	...	27.26	27.26	...	27.26	27.01	...	27.01
17.02	ब्रिटिश इंडिया निगम	12860	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
17.03	राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम	12860	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
17.04	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	12860	...	3.94	3.94	...	3.94	3.94
17.05	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम	12860	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
17.06	राज्य हथकरघा निगम/सोसायटियां	12860	2.40	...	2.40	0.40	...	0.40	2.00	...	2.00
	जोड़	30.68	3.94	34.62	28.68	3.94	32.62	30.03	...	30.03	
ग.	आयोजना परिव्यय:-										
1.	ग्राम और लघु उद्योग	12851	313.53	...	313.53	273.82	...	273.82	298.23	...	298.23
2.	उपभोक्ता उद्योग	12860	373.97	3.94	377.91	332.68	3.94	336.62	490.97	...	490.97
3.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
4.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	71.50	...	71.50	67.50	...	67.50	87.80	...	87.80
	जोड़	760.00	3.94	763.94	675.00	3.94	678.94	878.00	...	878.00	

1. यह व्यवस्था सचिवालय तथा लेखा संगठन के व्यय के लिए है।
2. यह व्यवस्था हथकरघा वस्त्र योजना तथा जनता वस्त्र योजना जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है, के बकाया दावों के लिए है।
3. यह व्यवस्था मुख्यतया दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, हथकरघा बुनकरों के लिए कार्यशेड-सह-आवास योजना तथा हथकरघा बुनकर कल्याण योजना के लिए राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए है।
4. यह व्यवस्था मुख्यतया सेनवैट प्रतिपूर्ति, संचित हथकरघा स्टॉक की बिक्री पर विशेष छूट, मिल गेट मूल्य योजना तथा डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, बुनकर बीमा योजना, समन्वित हथकरघा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा बाजार संवर्धन कार्यक्रम की योजनाओं के लिए है। इस व्यवस्था में हथकरघा विकास आयुक्त तथा बुनकर सेवा केन्द्रों के प्रशासनिक व्यय भी शामिल है।
5. यह व्यवस्था प्रशिक्षण एवं विस्तार, डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन, विपणन तथा सहायता सेवाओं, बाबा साहब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना, निर्यात संवर्धन तथा हस्तशिल्प उद्योगों से संबंधित विकासात्मक क्रियाकलापों की योजनाओं के लिए है।
6. यह व्यवस्था ऊन तथा ऊन उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऊन विकास बोर्ड की विभिन्न योजनाओं को प्रशासित करने के लिए है।
7. यह व्यवस्था केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासनिक व्ययों के लिए है। इसमें अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए अनुदान भी शामिल है।
8. यह व्यवस्था अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए रेशम एवं कला रेशम मिल्स अनुसंधान संघ को सहायता प्रदान करने के लिए है।
9. यह व्यवस्था विद्युतकरघा उद्योगों के आधुनिकीकरण, समूह बीमा योजना के लिए प्रावधान समूह वर्कशेड योजना, सी.ए.डी. आदि केन्द्रों को सहायता के लिए है।
10. यह व्यवस्था मुख्यतया कपड़ा समिति तथा जूट निर्माता विकास परिषद को उनके प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के भुगतान करने हेतु है।
11. यह व्यवस्था कपड़ा आयुक्त के कार्यालय के प्रशासनिक व्ययों के लिए है।
12. यह व्यवस्था मुख्यतया प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, कपास प्रौद्योगिकी मिशन, कपड़ा श्रमिक पुनर्वास योजना, परिधान/कपड़ा पार्क तथा कपड़ा विकास केन्द्रों की ढांचागत सुविधाओं के उन्नयन के लिए है। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान को भवन निर्माण/प्रशासनिक व्ययों के लिए सहायता तथा मूल्य समर्थन कार्य के लिए भारतीय कपास निगम को हानियों की प्रतिपूर्ति करना तथा ईएमडी/वीजी की जब्त राशि के लिए एईपीसी को अनुदान प्रदान करना भी शामिल है। इसमें ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिए पुनर्वास पैकेज भी व्यवस्था की गई है।
13. यह व्यवस्था जूट आयुक्त के कार्यालय के प्रशासनिक व्ययों के लिए है।
14. यह व्यवस्था भारतीय जूट निगम को बाजार हस्तक्षेप हेतु सब्सिडी प्रदान करने के लिए है।
15. यह निधि जूट उद्योगों के विकास के लिए है।
16. यह व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को अपने कर्मचारियों को वेतन, मजदूरी, सीमांत लाभों आदि के भुगतान हेतु उनके संसाधनों में कमी की पूर्ति के लिए है।
17. यह व्यवस्था राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम तथा राज्य हथकरघा निगमों तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम आदि के इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए है।
18. यह व्यवस्था पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए बनायी गयी परियोजनाओं/योजनाओं के लिए की गई है।